

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6 परिशिष्ट-“अ”

श्री सुभाष चन्द्र तिवाड़ी प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नरसिंहों की ढाणी, पं0स0 सम जिला जैसलमेर जिनकी जन्मतिथि 01.06.1962 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 13.10.1986 है।

श्री सुभाष चन्द्र तिवाड़ी प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नरसिंहों की ढाणी, पं0स0 सम जिला जैसलमेर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के प्रावधानानुसार 15 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री सुभाष चन्द्र तिवाड़ी प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नरसिंहों की ढाणी, पं0स0 सम जिला जैसलमेर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-4/सुभाष चन्द्र/2021/29

दिनांक : 3/2

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जोधपुर
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग जोधपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जैसलमेर
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति सम जिला जैसलमेर
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नरसिंहों की ढाणी, पं0स0 सम जिला जैसलमेर
6. श्री सुभाष चन्द्र तिवाड़ी प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नरसिंहों की ढाणी, पं0स0 सम जिला जैसलमेर
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. विजांच/बरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर